संख्या- 1/ 87 /74-2014-20(एस)/1992

प्रेषक,

नवतेज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम विकास विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ ।

रेशम विकास अनुभाग लखनऊ:: दिनांक 05 फरवरी, 2014

विषय- प्रादेशिक को-आपरेटिव सेरीकल्चर फेडरेशन लि0 लखनऊ में नामित मा0 अध्यक्ष को सुविधाएं अनुमन्य कराये जाने हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-776/सेरी0/नियो0/प्र0अनु0मां0/2013-14, दिनांक 16 जनवरी, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में प्रथम अनुपूरक बजट के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 8.48 लाख (रूपये आठ लाख अड़तालीस हजार मात्र) में से 50 प्रतिशत धनराशि रू0 4.24 लाख (रूपये चार लाख चौबीस हजार मात्र) शासनादेश संख्या-1296/74-2013-20 (एस)/1992 दिनांक 18 नवम्बर, 2013 के द्वारा अवमुक्त की गयी थी । उक्त प्राविधानित धनराशि की अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि रू0 4.24 लाख (रूपये चार लाख चौबीस हजार मात्र) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-640/दस-2013-231/2013 दिनांक 28-03-2013 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृत / सहमति सक्षम अधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जाए ।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए नही किया जाएगा और वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा ।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किये जाने के पश्चात यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे शासन को 15 मार्च, 2014 तक निश्चित रूप से समर्पित कर दिया जाए ।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय, मितव्ययिता का विशेष ध्यान रखा जाए तथा मितव्ययिता के संबंध मे शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए ।

(5) स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जाए। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि योजनान्तर्गत कारित कार्यो हेतु उचित उपयोग किया जा रहा है।

http://shasnadesh.up.nic.in

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का सदुप्रयोग सुनिश्चित किया जाए । किसी भी प्रकार के विचलन/दुरूपयोग की स्थिति में निदेशक, रेशम स्वयं जिम्मेदार/उत्तरदायी होंगे।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय करते हुए समय-समय पर निर्गत संगत शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा उसकी त्रैमासिक समीक्षा विभागाध्यक्ष द्वारा अपने स्तर से करते हुए त्रैमासिक अद्यावधिक व्यय की स्थिति/उपयोगिता से भी शासन को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) लेखा शीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-107-रेशम उत्पादन उद्योग-आयोजनेत्तर-03-प्रादेशिक को-आपरेटिव सेरीकल्चर फेडरेशन लि0 लखनऊ को सहायता-20-सहायक अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1 के अशासकीय संख्या-ई-1-63/दस-2014 दिनांक 30 जनवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(नवतेज सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 1/ 87(1)/74-2014-23(ब)/2012 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम व द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम व द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- समन्वय अनुभाग/उद्यान अनुभाग ।
8- नियोजन अनुभाग-4
9- प्रोग्रामर/कम्प्यूटर अनुभाग, रेशम निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से कि उक्त शासनादेश को वेबसाइट पर लोड कर दें।
10- गार्ड फाइल/कार्यालय प्रति।

आज्ञा से,

(अजय कुमार उपाध्याय)
विशेष सचिव।

http://shasnadesh.up.nic.in